

No. A-12030/2/2017-CLS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110001
Dated the August, 2017
10

96511
17-8-17

To

CS (Evry)

M

Prjcs

17-8-2017

1. The Secretaries in the Central Ministries/Departments
2. The Chief Secretaries in all the States/UTs

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II - regarding.

96511

Sps

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) at New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II are to be filled up shortly in terms of provisions of The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualification, Experience, and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017. A copy of Notification of the said rules i.e. No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017 is enclosed as **Annexure-I**.

2. The terms and conditions of appointment for the post of Presiding Officer in CGIT-cum-Labour Courts will be as per Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualification, Experience, and other conditions of service of Members) Rules, 2017 as notified vide G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017.


3. It is requested that names of officers who are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LCs at New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II and fulfill the eligibility conditions as per Notification No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017, may please be sent to this Ministry within a period of one month from the date of issue of this letter. Details of each officer in three (03) proformae (**Annexure-II, III & IV**) is to be appended to **each** application. A check-list (copy placed at **Annexure-II** regarding the documents/copies enclosed may be sent with each application. The Bio-Data of each of the officers may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III** to be filled in by the concerned officer and **attested by the Officer not below the rank of Deputy Secretary/Director**. The nomination of each of the officers may be forwarded along with an abstract of ACRs (if applicable to the officer) of the last five years duly certified in the proforma placed at **Annexure-IV**, along with the ACR dossiers and vigilance clearance (if applicable to the officer).

4. It is requested that a panel of names of Officers who fulfill the requirements, as mentioned above and are willing to take up the assignment on terms and conditions mentioned in the enclosed Rules (Annexure-I) may please be furnished to this Ministry along with the proformae (Annexure-II, III & IV).

5. Nominations with complete proformae and verified copies of ACR dossiers (if applicable) only will be entertained by the Ministry.

6. This Circular may be given wide publicity so that more and more people apply for the post.

Yours faithfully,


(S. K. Singh)

Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23766903

Copy to:

1. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi with the request that a panel of names of Judicial Officers (retired or serving) who are willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC, New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II may kindly be forwarded to this Ministry.
2. All Dy. Chief Labour Commissioners (C) with the request to take up the matter with the Registrars of the High Courts concerned for wide publicity of the circular.

Encl: Annexure-I, II, III & IV.


(S. K. Singh)

Under Secretary to the Government of India



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ ज्येष्ठ 11, 1939

No. 442]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय सरकार, विन्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण, जैसा कि विन्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीटामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विन्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है ;

(ख) "लेखा सदस्य", "प्रशासनिक सदस्य", "न्यायिक सदस्य", "विशेषज्ञ सदस्य", "विधि सदस्य", "राजस्व सदस्य" या "तकनीकी सदस्य" में, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील अधिकरण", "प्राधिकरण" या "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो उनका अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों में है ;

- (घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम के तत्कालीन उपबंधों के अधीन नियुक्त, यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ङ) "सदस्य" से लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथाम्थिति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष है ;
- (च) "पीठासीन अधिकारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ड के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) "खोजबीन-मह-चयन समिति" से नियम 4 में निर्दिष्ट खोजबीन-मह-चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) "उपाध्यक्ष" से, यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है ।

3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होंगी, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति.—(1) यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खोजबीन-मह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) उम मंत्रालय/विभाग, जिसके अधीन यथाम्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण का गठन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, का सचिव, भारत सरकार खोजबीन-मह-चयन समिति का संयोजक होगा ।

(3) खोजबीन-मह-चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(4) अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन-मह-चयन समिति या चयन समिति में कोई निश्चित या अनुपस्थिति है ।

(5) इस नियम की कोई बात, यथाम्थिति, अपील अधिकरण, अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उम रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी ।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—किमी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. किमी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किमी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु सदस्य जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवधान तक या जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की उम पद पर सम्बन्धित नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वानुग्रह हो, अपने पद पर बना रहेगा ।

7. सदस्य को पद से हटाना.—केंद्रीय सरकार, इस निम्नित्त उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जिसे

(क) दिवानिया न्यायनिर्णान किया गया है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहारा गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्बलित है;

(ग) शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(घ) उसने ऐसे विनीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनमें सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है

(ङ) उसने अपनी हैमियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसमें उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है:

परंतु जहां किसी सदस्य को खंड (ख) में खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो वहां सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की मूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि राष्ट्रीय कंपनी अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श में पद से हटाया जाएगा ।

8. सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.—(1) यदि केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के संबंध में दुर्व्यवहार या पद के कृत्यों का पालन करने में अक्षमता के स्पष्ट आरोप का अभिकथन करने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है ऐसी शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगा ।

(2) यदि प्राथमिक संवीक्षा पर, भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है, की यह राय है कि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की मूचवाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह जांच संचालित करने के लिए नियम 7 के अधीन गठित समिति को निर्देश करेगी ।

(3) समिति अपने समय या अपने और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूर्ण करेगी ।

(4) जांच के पूरा होने के पश्चात् समिति केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह अपने निष्कर्षों और पृथक् रूप में आरोपों में से प्रत्येक आरोप पर उन के लिए कारणों का और संपूर्ण मामले पर अपने प्रश्नों, जो वह ठीक समझे, का कथन करेगी ।

(5) समिति निम्निल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिस्थित प्रक्रिया में आवद्ध नहीं होगी किन्तु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है ।

9. सदस्य की पदावधि.—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उक्त अनुसूची के मंत्र (5) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा और उस तारीख में, जिसको वह पद धारण करता है में उक्त अनुसूची के मंत्र (6) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी आयु तक पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

10. आकस्मिक रिक्ति.—(1) (क) यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति की दशा में केंद्रीय सरकार को ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने की या उनकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के किसी एक लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को अध्यक्ष या पीठानी अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(ख) केंद्रीय सरकार को किसी अन्य ऋण बमूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऋण बमूली अपील अधिकरण के पीठानी अधिकारी के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऋण बमूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य ऋण बमूली अपील अधिकरण के पीठानी अधिकारी को स्थानापन्न पीठानी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

11. वेतन और भत्ते.—(1) यथान्धिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, या प्रतिभूति अपील अधिकरण को 2,50,000/- रुपए (नियत) और केंद्रीय सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते और फायदों का संदाय किया जाएगा।

(2) यथान्धिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को 2,25,000/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठानीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठानीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) यथान्धिति, किमी व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, जो किमी पेंशन को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा अर्जित पेंशन की सकल रकम में कम कर दिया जाएगा।

12. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि.—(1) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किमी अधिकरण के मेवारत न्यायिक सदस्य या भारतीय विधिक सेवा के सदस्य या किमी मंगटित सेवा के सदस्य की दशा में, जिसकी नियुक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या पीठानीन अधिकारी के रूप में की जाती है तो, यथान्धिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार, जिसमें वह संबंध रखता है, पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और वह साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा प्रशासित होगा।

(2) सभी अन्य मामलों में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा प्रशासित होगा।

(3) यथान्धिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

13. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठानीन अधिकारी या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए नीम दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठानीन अधिकारी या सदस्य को किमी कलेंडर वर्ष में आठ दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदान की जाएगी।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन केंद्रीय निवृत्त सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा प्रशासित होगा।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इन शर्तों के अधीन रहने हुए कि अधिकतम छुट्टी तकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, उसके खाने में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के तकदीकरण का हकदार होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रकम केंद्रीय निवृत्त सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगा।

14. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.—(1) निम्नलिखित के लिए,—

(क) किमी उपाध्यक्ष, ऋण वसूली अधिकरण और औद्योगिक अधिकरण के पीठानीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के लिए, यथान्धिति, छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी अध्यक्ष होगा प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठानीन अधिकारी और प्रतिभूति अपील अधिकरण का होगा; और लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठानीन अधिकारी की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार भी मंजूरी प्राधिकारी होगी।

(ख) अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठानीन अधिकारी या अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठानीन अधिकारी या अध्यक्ष के लिए केंद्रीय सरकार होगी जो लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, के लिए मंजूर करने वाला प्राधिकरण भी होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के लिए विदंगी यात्रा हेतु मंजूरा करने वाला प्राधिकरण होगा।

15. गृह किराया भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उर्मी दर पर गृह किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो तन्स्थानी प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

16. परिवहन भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी, सदस्य भारत सरकार की तन्स्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को यथाअनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार स्टाफ कार नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

17. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व अपनी आमनियों और अपने उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों का प्रकटन करेगा।

18. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो भारत सरकार के तन्स्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समझ, यथास्थिति, उन अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यवसाय नहीं करेंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते हुए कोई माध्यम्यम् कार्य हाथ में नहीं लेंगे।

(4) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करना ममान्य करते हैं, से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति, जो यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समझ कार्यवाहियों में पक्षकार था, के प्रबंधन या प्रशासन में संवद्ध नहीं होंगे।

परंतु इस नियम में अन्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी निकाय या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के द्वारा या उनके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 45 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन की लागू नहीं होगी।

19. पद और गोपनीयता की शपथ.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद धारण करने से पूर्व इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा।

20. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आंगक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य विधायकों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्ररूप 1

(नियम 19 देखिए)

..... (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

में अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

ईश्वर की शपथ लेता हूँ/मन्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करना हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूँगा और मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा को बनाए रखूँगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

प्ररूप 2

(नियम 19 देखिए)

.....(अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं.....अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ/मन्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करना हूँ कि जो विषय, विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि या मुझे (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समूचित नहीं करूँगा या प्रकट नहीं करूँगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

अनुसूची

क्रम सं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता	खोजबीन-सह-चयन समिति की संरचना	पदावधि	पदधारण करने के लिए अधिकतम आयु (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण	कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा,— (क) यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन नहीं है ; या (ख) वह तीन वर्ष से अल्पतम अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला	पीठासीन अधिकारी के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति : (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति — अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय — सदस्य (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट	तीन वर्ष	पीठासीन अधिकारी — पैंसठ वर्ष

		<p>न्यायाधीश रहा है ; या</p> <p>(ग) वह योग्य, मन्यनिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति है तथा उसे बीस वर्ष में अन्यून का अर्थगाम्ब, कान्त्रार, वाणिज्य, विधि, वित्त, प्रबन्धन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, श्रम मन्ध, औद्योगिक विवाद या किन्ती अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यवसायिक अनुभव है, जो केंद्रीय सरकार की राय में औद्योगिक अधिकरण के लिए उपयोग हो सकता है।</p>	<p>किया जाने वाला सचिव, भारत सरकार - मदन्य</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - मदन्य</p>		
2	<p>आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक वह किन्ती उच्च न्यायालय का पीठानीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, जिमने किन्ती उच्च न्यायालय में या आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में माल वर्ष में अन्यून सेवा नहीं कर ली है।</p> <p>(2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अधिकरण के एक या अधिक मदन्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।</p> <p>(3) न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा—</p> <p>(क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है ; या</p> <p>(ख) वह भारतीय विधिक सेवा का मदन्य नहीं है और उसने सेवा के ग्रेड 2 या किन्ती समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है ; या</p> <p>(ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है ;</p> <p>(4) कोई व्यक्ति लेखा मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,—</p> <p>(i) उसने कम से कम दस वर्ष का लेखाकर्म का व्यवसाय नहीं किया है ;</p> <p>(क) वह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ; या</p> <p>(ख) वह औपचारिक रूप से प्रवृत्त किन्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लेखाकार है या भागतः ऐसा</p>	<p>अ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए के लिए खोजवीन-मह-चयन समिति :</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण - मदन्य और</p> <p>(iii) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - मदन्य</p> <p>आ, लेखा मदन्य और न्यायिक मदन्य के लिए खोजवीन-मह-चयन समिति :</p> <p>(i) विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्देशिनी - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - मदन्य</p> <p>(iii) अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण - मदन्य और</p> <p>(iv) दो से अतधिक कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जैसा विधि और न्याय मंत्री नियुक्त करें।</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष -</p> <p>पैमठ वर्ष</p> <p>उपाध्यक्ष -</p> <p>त्रामठ वर्ष</p> <p>मदन्य -</p> <p>त्रामठ वर्ष</p>

		<p>रजिस्ट्रीकृत लेखाकार है और भारत-चाटर्ड अकाउंटेंट है; या</p> <p>(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य रहा है और उसने अपर आयुक्त आय-कर या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है।</p>			
3	<p>सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा :</p> <p>(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) वह अपील अधिकरण का सदस्य है।</p> <p>(2) कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा—</p> <p>(क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है; या</p> <p>(ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा के ग्रेड 1 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति नकलीकी मदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उसने आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा नहीं की है।</p>	<p>(अ) अध्यक्ष के पद के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति—</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(आ) न्यायिक सदस्य के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति—</p> <p>(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष, सीमाशुल्क उत्पादशुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण - सदस्य; और</p> <p>(v) दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य</p> <p>ड. नकलीकी मदस्य के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति</p> <p>(i) प्रिंसिपल सचिव, भारत सरकार - सदस्य</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक,</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष -</p> <p>महामह-चयन वर्ष</p> <p>सदस्य -</p> <p>बामह-चयन वर्ष</p>

<p>कारक शिक्तायत और पेशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - मदम्य</p> <p>(iv) मन्त्रिद, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - मदम्य ।</p>		
<p>(अ) अध्यक्ष पद के लिए खोजवरीन-मह-चयन समिति,—</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायधीन- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मन्त्रिद, भारत सरकार, राजन्व विभाग - मदम्य</p> <p>(iii) मन्त्रिद, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग - मदम्य</p> <p>(iv) मन्त्रिद, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - मदम्य</p> <p>(आ) मदम्य के पद के लिए खोजवरीन-मह-चयन समिति:</p> <p>(i) मन्त्रिमन्डल मन्त्रिद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) मन्त्रिद, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - मदम्य</p> <p>(iii) मन्त्रिद, भारत सरकार राजन्व विभाग - मदम्य;</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विभाग जाने वाले भारत सरकार के दो मन्त्रिद</p>	<p>तीन वर्ष</p>	<p>अध्यक्ष - पैमठ वर्ष</p> <p>मदम्य - वानठ वर्ष</p>
<p>(अ) अध्यक्ष या न्यायिक मदम्य के पद के लिए खोजवरीन-मह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम नामनिर्दिष्टिनी - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशाननिक अधिकाण, प्रधान न्यायपीठ - मदम्य</p> <p>(iii) मन्त्रिद, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - मदम्य</p> <p>(iv) मन्त्रिद, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - मदम्य</p> <p>(v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदम्य</p> <p>(आ) प्रशाननिक मदम्य के पद के</p>	<p>तीन वर्ष</p>	<p>अध्यक्ष - अठमठ वर्ष</p> <p>मदम्य - पैमठ वर्ष</p>

<p>प्रशामन या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और इनमें कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति—</p> <p>(क) न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हिन होगा जब वह,—</p> <p>(i) किसी राज्य न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या उनका न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन है, या</p> <p>(ii) जिसने भारत सरकार के विधि बार्ड विभाग या विधायी विभाग के सचिव, जिसने भारत के विधि आयोग का मदन्य - सचिव भी है, का पद कम से कम एक वर्ष तक धारण किया हो; या</p> <p>(iii) जिसने भारत सरकार के विधि बार्ड विभाग या विधायी विभाग का अपर सचिव का पद कम से कम दो वर्ष तक धारण किया हो; या</p> <p>(iv) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो;—</p> <p>(ख) प्रशासनिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हिन होगा—</p> <p>(i) जब उसने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम एक वर्ष तक धारण किया हो और कम से कम एक वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो; या</p> <p>(ii) जब उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम दो वर्ष तक धारण किया हो और कम से कम दो वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो।</p> <p>परन्तु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी निरन्तर पद पर थे या हैं, ऐसी शर्तों में ऐसे अधिकारी को प्रोफार्मा</p>	<p>लिए खोजबीन-सहायक समिति -</p> <p>(i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - मदन्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार का सचिव और प्रशिक्षण विभाग - मदन्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - मदन्य</p> <p>(v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदन्य</p>
--	--

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	विवरण	वर्ष	विवरण
		<p>प्रोव्हीन या बाल्मन्विक प्रोव्हीन, जो भी पहले हो, यथाम्थिति, मन्चिव या अपर मन्चिव के स्तर पर दी गई थी, यथाम्थिति, मन्चिव या अपर मन्चिव का पद धारण किया हुआ समझें जायेंगे और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रतियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि इस छूट के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिनी जायगी।</p>			
1	<p>1986 (1987) का अधिनियम 4 के अन्तर्गत दावा अधिनियम</p>	<p>1. कोई व्यक्ति अध्याय के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,-</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) यथाम्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक मदन्य या तकनीकी मदन्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण किया है, या</p> <p>(ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति हो तथा रेल में सम्बन्धित दावों और वाणिज्य विषयों की विशेष जानकारी रखता है और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,-</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) भारतीय विधि सेवा का मदन्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 1 का पद या कोई उच्चतर पद कम से कम पांच वर्ष तक धारण किया है, या</p> <p>(ग) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई निवृत्त न्यायिक पद धारण किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त मन्चिव के वेतनमान से कम नहीं है; या</p> <p>(घ) न्यायिक मदन्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसने,-</p> <p>(क) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी मदन्य के रूप में पद धारण किया हो, या</p>	<p>(अ) अध्याय, उपाध्यक्ष (न्यायिक) या मदन्य (न्यायिक) पद के लिए निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग में सम्मिलित -</p> <p>(i) भारत या मदन्य न्यायिकता का उपाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट - अध्याय</p> <p>(ii) अध्याय रेल बोर्ड मदन्य यातायात रेल बोर्ड - मदन्य</p> <p>(iii) मन्चिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए - मदन्य</p> <p>(iv) रेल में विशेषज्ञ जिन हो केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले रेल में सम्बन्धित दावों या वाणिज्यिक विषयों की जानकारी और अनुभव हो - मदन्य</p> <p>(आ) उपाध्यक्ष (तकनीकी) या मदन्य (तकनीकी) के पद के लिए खोजने, मूलांकन सम्मिलित -</p> <p>(i) कोई व्यक्ति, जो केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्याय</p> <p>(ii) अध्याय, या मदन्य (यातायात) रेल बोर्ड मदन्य - मदन्य</p> <p>(iii) मन्चिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदन्य</p> <p>(iv) रेल में सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों की जानकारी और अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट किए जाए - मदन्य</p>	तीन वर्ष	अध्याय - मदन्य वर्ष
				उपाध्यक्ष - तीन वर्ष	
				मदन्य - तीन वर्ष	

	<p>(ख) तेल प्रशासन के अधीन काम में कम पांच वर्ष तक ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और जिसे तेल से सम्बन्धित श्राव्य और वाणिज्यिक विधियों के नियमों और प्रक्रियाओं का परिचय ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है।</p> <p>4. कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>5. कोई व्यक्ति तकनीकी मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह -</p> <p>दोसरे और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और तेल से सम्बन्धित वाणिज्यिक विधियों के नियमों और प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और उसमें कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो।</p>			
<p>भारतीय प्रतिभूति विनियम 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अधिकांश</p>	<p>1. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अधीन अधिकांश के पीठानीत अधिकारी या न्यायिक मदन्य या तकनीकी मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह -</p> <p>(क) पीठानीत अधिकारी के मामले में कम से कम दस वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;</p> <p>(ख) न्यायिक मदन्य के मामले में कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ग) तकनीकी मदन्य के मामले में -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के मद्रानय या विभाग में अपर सचिव या सचिव है</p>	<p>(अ) अधिकार का पीठानीत अधिकारी और न्यायिक मदन्य की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके समन्वित्वित्वी के परामर्श में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायगी।</p> <p>(आ) तकनीकी मदन्य के रूप के लिए खोजबीन-सह-पाठन ल मेण्डे।</p> <p>(i) पीठानीत अधिकारी प्रतिभूति अधीन अधिकांश - अक्षय</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग - मदन्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार विनीय सेवा विभाग - मदन्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार विधायी विभाग या विधि सार्व विभाग - मदन्य</p>	<p>तीन वर्ष</p>	<p>पीठानीत अधिकारी - सचिव वर्ष</p> <p>मदन्य सड़सठ वर्ष</p>

	<p>या गृहा है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण कर रहा है, या</p> <p>(ii) साबित योग्य, ईमानदार और अनुभववाना व्यक्ति, जिसको विनीय मेक्टर, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति वाजार या पेंशन निधि या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा भी है, में विशेष ज्ञान रखना है और उनमें कम से कम पंद्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखना हो।</p> <p>2. कोई या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अशासकिक सदस्य या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्तर पर कोई व्यक्ति अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठामीन अधिकारी या सदस्य के रूप में, यथाम्ति, ऐसे कोई या ऐसे प्राधिकरणों की उस रूप में या उस कानून में, जिसको वह कोई में या ऐसे प्राधिकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रूखा जाना है, में दो वर्षों के भीतर नियुक्त नहीं किया जाएगा।</p> <p>3. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठामीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कोई विनीय या अन्य हित नहीं रखता है जिसमें पीठामीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।</p>		
<p>8</p> <p>केन्द्रों और विनीय संस्थाओं के शोधक कृषि वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधिन कृषि वसूली अधिनियम</p>	<p>कोई व्यक्ति कृषि वसूली अधिनियम के पीठामीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह:-</p> <p>(क) जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) योग्य, ईमानदारी और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक, कार्य-व्यवस्था, प्रशासन, बैंककारी, कृषि वसूली या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में कृषि वसूली अधिनियम के लिए उपयोगी हो, में विशेष ज्ञान रखता हो और उसमें कम से कम बीस वर्षों का और उसमें अनुभव रखता हो।</p>	<p>कृषि वसूली अधिनियम के पीठामीन अधिकारी के पद के लिए अर्जवीन-सह-व्यक्त समिति,</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिनी - मुख्य अ;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (अर्थात् कार्य विभाग) - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iv) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्देशित निरवैयक्तिक या डिप्टी गवर्नर - सदस्य और</p> <p>(v) सचिव, भारत सरकार, अवर</p>	<p>पीठामीन अधिकारी - दस वर्ष</p>

	<p>(क) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कागजात, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में दूरदर्शन, शिक्षा, निपटारा और ग्रामीण अधीक्षण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उसमें कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कागजात, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में ग्रामीण अधीक्षण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनका कम से कम वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p>	<p>(iv) ऐसे दो विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदन्य आ. मदन्य के पद के लिए खोजबीन-महालयत समिति -</p> <p>(i) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार (समाचार विभाग) - मदन्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, 31 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदन्य</p> <p>(v) ऐसे दो विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - मदन्य</p>	
<p>12. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 व. 47) के अधीन अर्पित होई</p>	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) उसने अर्पित होई के उपाध्यक्ष का पद बीस वर्ष से अत्युत अवधि के लिए धारण किया है।</p> <p>2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) उसने न्यायिक मदन्य या तकनीकी मदन्य का पद दो वर्ष से अत्युत अवधि के लिए धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का काम से कम 12 वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा</p>	<p>(अ) अर्पित होई के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या न्यायिक मदन्य का पद के लिए खोजबीन-महालयत समिति -</p> <p>(i) भारत के मुख्य वायसर्जी या उसके नामनिर्दिष्टी-अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार (औद्योगिक विधि और व्यापार चिह्न-मदन्य)</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला मदन्य,</p> <p>(iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले मदन्य।</p> <p>(आ) अर्पित होई के तकनीकी मदन्य (व्यापार चिह्न), तकनीकी मदन्य (पेटेंट) और तकनीकी मदन्य (प्रतिलिप्याधिकार) के पद के लिए खोजबीन-महालयत समिति -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला</p>	<p>बीस वर्ष</p> <p>अध्यक्ष-मदन्य वर्ष</p> <p>उपाध्यक्ष-मदन्य वर्ष</p> <p>मदन्य-पैसट वर्ष</p>

	<p>न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है:</p> <p>(ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायिक अधिकारी का पद कम से कम 10 वर्ष के लिए धारण किया है।</p> <p>4. कोई व्यक्ति तकनीकी मदद (व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन किसी अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन किया है और उसने कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए मयूक राजस्तर में अनुभव प्राप्त कि कोई पद धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का कम से कम 12 वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है, या</p> <p>(ख) वह कम से कम 10 वर्ष के लिए व्यापार चिह्न विधि में सिद्ध विधि अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा है।</p> <p>5. कोई व्यक्ति तकनीकी मदद (व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन कोई पद धारण किया है या उसके अधीन निवृत्त के कृत्यों का निर्वहन किया है, या</p> <p>(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए राजस्तर नियंत्रण अधिनियम के रूप में कार्यरत किया है और उसके पास तत्समय उक्त विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में मास्टर की डिग्री है।</p> <p>6. कोई व्यक्ति तकनीकी मदद (प्रतिनिध्याधिकार) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है और उस सेवा के ग्रेड-1 में कम से कम 3 वर्ष के लिए पद धारण कर रहा है या पद धारण किया है, या</p> <p>(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है; या</p> <p>(ग) वह अधिकरण का सदस्य है या रहा है या वह भारत सरकार के मयूक सचिव में अनुभव प्राप्त कि विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है</p>	<p>व्यक्ति-अध्यक्ष,</p> <p>(ii) सचिव, संशोधन नीति और नवधन विभाग-मद्रास,</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला-मद्रास,</p> <p>(iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-मद्रास।</p>	
--	---	--	--

	<p>प्रतिनिधित्वविभाग के अधिनियम 3 वर्ष के अनुभव सहित, या</p> <p>(घ) प्रतिनिधित्वविभाग विधि में निम्न विधिगत अनुभव के साथ कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता रहा है:</p> <p>यानु अर्थात् बंदों के कम से कम एक सदस्य के पास, प्रतिनिधित्वविभाग अधिनियम के धाराओं के लिए ऊपर (क), (ख) और (घ) में दी गई अर्हता होगी।</p>		
<p>13 कपटी अधिनियम, 2013 का अर्ध-राष्ट्रीय कपटी अधिनियम अधिनियम</p>	<p>(1). अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।</p> <p>(2). न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या पांच वर्षों से राष्ट्रीय कपटी विधि अधिनियम का न्यायिक सदस्य है।</p> <p>(3). तबकीबी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास निम्न योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक विज्ञान, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिर्माण, लेखाकर्म, या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय कपटी विधि अधिनियम के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम पंद्रह वर्षों का कुलित अनुभव है।</p>	<p>(अ). राष्ट्रीय अधिनियम 3 अधिनियम की नियुक्ति भारत के मुख्य न्याय मूर्ति से परामर्श के पश्चात् की जायेगी।</p> <p>(आ). राष्ट्रीय अधिनियम के न्यायिक सदस्य और तबकीबी सदस्य 3 पर के लिए खोजकर्ता-मह-चयन समिति।</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्याय मूर्ति या उच्चतम न्यायमूर्ति - अध्यक्ष,</p> <p>(ii) उच्चतम न्यायालय का कोई बहिष्कृत न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति - सदस्य,</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्यालय, राज्य सरकार - सदस्य,</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय विभाग - सदस्य।</p>	<p>तीस वर्ष</p> <p>अध्यक्ष-सचिव वर्ष</p> <p>सदस्य-सचिव वर्ष</p>
<p>14. कपटी अधिनियम, 1961 (43) के अर्ध-राष्ट्रीय अधिनियम अधिनियम</p>	<p>कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना अर्हता होगा-</p> <p>(क) अध्यक्ष,</p> <p>(i) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या</p> <p>(iii) कम से कम 7 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा है; या</p> <p>(iv) कम से कम 3 वर्षों के लिए अधिनियम विनिर्णय प्रारंभिकरण का उपाध्यक्ष, राज्य सदस्य या विधि सदस्य रहा है; या</p> <p>(v) ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास निम्न योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास अधिनियम, वाणिज्य,</p>	<p>(अ). राष्ट्रीय अधिनियम 3 अधिनियम की नियुक्ति भारत के मुख्य न्याय मूर्ति से परामर्श के पश्चात् की जायेगी।</p> <p>(आ). राष्ट्रीय अधिनियम के न्यायिक सदस्य और तबकीबी सदस्य 3 पर के लिए खोजकर्ता-मह-चयन समिति।</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्याय मूर्ति या उच्चतम न्यायमूर्ति द्वारा परामर्श के पश्चात् उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश-अध्यक्ष,</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, राज्य सरकार - सदस्य,</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार (विधि कार्य विभाग) - सदस्य,</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य।</p> <p>(अ) सदस्य 3 पर के लिए खोजकर्ता-मह-चयन समिति।</p> <p>(i) मंत्रिमंडल सचिव-अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य,</p>	<p>तीस वर्ष</p> <p>अध्यक्ष-सचिव वर्ष</p> <p>सदस्य-सचिव वर्ष</p>

	<p>राज्याध्यक्ष, विधि विभाग, नया दिल्ली, दिल्ली, केन्द्र कार्य, प्रशासन, कल्याण के या किसी अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की राय में अधिकरण के लिए उपयुक्त है, विशेष ज्ञान और काम में कम से कम 25 वर्षों का वैश्विक अनुभव है।</p> <p>(ख) उपाध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है।</p> <p>(ग) भारतीय राजस्व सेवा में राजस्व उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय उपाध्यक्ष का कोई भी सदस्य होने के लिए अर्हित है और भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उपाध्यक्ष सेवा का कोई भी सदस्य होने के लिए अर्हित है।</p> <p>(घ) भारतीय विधिक सेवा में विधिक सल्लाह, जो राज्य सरकार का अफसर नियुक्त है।</p>	<p>(iii) न्याय, भारत सरकार, या राज्य विभाग-सदस्य,</p> <p>(iv) भारत सरकार के दो मांस, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य</p>	
<p>15. राज्याध्यक्ष अ. नि. व. 1. 2. 1952 का (7) के अन्तर्गत अफसर अ. क.</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए कभी अर्हित होगा, जब—</p> <p>(अ) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ब) उसके सदस्य के रूप में कम से कम बीस वर्षों के अनुभव के लिए पर्याप्त विषय है या</p> <p>(ग) वह राज्य सरकार और अफसरों के बीच और उनके बीच विधि, प्रशासन, कल्याण, सीमा शुल्क, प्रशासन, किसानों में या किसी अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अफसर अधिकरण के लिए उपयुक्त है, विशेष ज्ञान और काम में कम से कम 25 वर्षों का वैश्विक अनुभव है।</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार अपने व्यक्तियों को अफसर अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती, जो उसकी राय में अफसर पर किसानों के उपाध्यक्ष को समझने के लिए अर्हित है।</p>	<p>अर्हित अधिकरण के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए खोज निकालने-सदस्य नमिने-</p> <p>(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति-उपाध्यक्ष,</p> <p>(ii) न्याय, भारत सरकार सूचना अ. क. द्वारा सूचना-सदस्य,</p> <p>(iii) न्याय, भारत सरकार के मांस, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया उपाध्यक्ष-सदस्य,</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेष-सदस्य।</p>	<p>अध्यक्ष-सदस्य</p> <p>सदस्य-सदस्य</p>
<p>16. राज्याध्यक्ष अ. नि. व. 1. 6. 1956 का (8) के अन्तर्गत अफसर अ. क.</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए कभी अर्हित होगा, जब—</p> <p>(अ) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ब) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या</p>	<p>(अ) उपाध्यक्ष की नियुक्ति द्वारा सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् की जाएगी।</p> <p>(आ) सदस्य के पद के लिए खोज निकालने-सदस्य नमिने-</p> <p>(i) कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जिस</p>	<p>अध्यक्ष-सदस्य</p> <p>सदस्य-सदस्य</p>

<p>1. कोई व्यक्ति नौसाली वर्ष के लिए न्यायिक मदन्य का पद धारण करे, या</p> <p>2. कोई व्यक्ति, ईमानदार और अशुभ व्यक्ति है, जिसके पास न्यायिक मदन्य का पद धारण करने का अधिकार, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, या किसी अन्य विषय में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की राय में न्यायिक उपरोक्ता विवाद समाधान के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से अन्तर्गत वर्ष में अन्तर्गत का पद धारण करने के लिए अयोग्य है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होगा यदि वह योग्य, ईमानदार और अशुभ व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, या किसी अन्य विषय में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की राय में न्यायिक उपरोक्ता विवाद समाधान के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से अन्तर्गत वर्ष में अन्तर्गत का पद धारण करने के लिए अयोग्य है।</p> <p>4. किसी व्यक्ति को न्यायिक मदन्य का पद धारण करने के लिए नियुक्त किया जाएगा यदि—</p> <p>(अ) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ब) अपने काम में कम से कम दस वर्षों के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p>	<p>भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए— अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग—मदन्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, उपरोक्ता कार्य विभाग—मदन्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले दो विशेषज्ञ—मदन्य।</p>	
<p>5. कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होगा जब—</p> <p>(अ) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ब) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या</p> <p>(ग) अपने काम में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए न्यायिक मदन्य या उपरोक्ती मदन्य का पद धारण किया गया है।</p> <p>6. वह योग्य, ईमानदार और</p>	<p>(अ) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक मदन्य के पद के लिए अर्हता-वह-व्यक्त समिति—</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके नामनिर्देशित—अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, विद्युत मंत्रालय—मदन्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले—मदन्य;</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले दो विशेषज्ञ—मदन्य।</p>	<p>तीन वर्ष</p> <p>अध्यक्ष-मदन्य वर्ष</p> <p>मदन्य-पैनल वर्ष</p>

	<p>अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, वाणिक्य, वाणिज्य, विधि, कृषि, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से अर्जित अधिवक्ता के लिए उपयुक्त है, विशेष ज्ञान और परकीय वर्षों में अनुभव का दृष्टिकोण अनुभव है।</p> <p>2. कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) उसने कम से कम दस वर्षों के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति नवनीची मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विज्ञान, कला, वाणिज्य, विनियमन, अर्थशास्त्र, वाणिक्य, वाणिज्य, विधि, कृषि, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से अर्जित अधिवक्ता के लिए उपयुक्त है, विशेष ज्ञान और परकीय वर्षों में अनुभव का दृष्टिकोण अनुभव है।</p>	<p>(आ). अर्जित अधिवक्ता के नवनीची मदन्य के पद के लिए गौणकारी-मह-चयन समिति -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यक्ति - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय मन्त्रालय - सदस्य।</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला - सदस्य।</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।</p>		
<p>19. मुख्य वक्ता अधिनियम, 1967 (2007 वा 55) के अधीन मन्त्रालय अधिवक्ता</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।</p> <p>(2). कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।</p> <p>(3). कोई व्यक्ति प्रशासनिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) उसने कम से कम तीन वर्षों की कृषि अधिधि के लिए सेवा में मजदूर, जनरल या अन्य उच्च या या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य पद का पद</p>	<p>(अ). मन्त्रालय वक्ता अधिवक्ता के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।</p> <p>(आ) मन्त्रालय वक्ता अधिवक्ता के उपाध्यक्ष, न्यायिक मदन्य या प्रशासनिक मदन्य के पद के लिए गौणकारी-मह-चयन समिति -</p> <p>(i) उच्चतम न्यायालय का कोई अर्जित न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए या भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) अध्यक्ष, मन्त्रालय वक्ता अधिवक्ता - मदन्य।</p> <p>(iii) भारत सरकार के दो अधिकार, जिनमें एक सचिव भी होगा - मदन्य।</p>	<p>तीन वर्ष</p>	<p>अध्यक्ष-मदन्य वर्ष</p> <p>मदन्य-द्वैसठ वर्ष</p>

	<p>धरणा किया है या रखा है, या</p> <p>(ख) उसने सेना या नौसेना या वायु सेना में पांच वर्षों में अन्यून अवधि के लिए जग एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा की है और वह त्रयश संज्ञक जनरल, कौमोडोर और एयर कौमोडोर की पत्रिका में निम्न का नहीं है : या</p> <p>(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अधीक्षण, कारवार, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में परामर्शी के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और तीन वर्षों में अन्यून का वृत्तिक अनुभव है।</p>		
<p>19. राष्ट्रीय हित अधिष्ठाण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, या</p> <p>(ग) उसने कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में पद धारण किया है, या</p> <p>(घ) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विधि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और एकदश वर्षों में अन्यून का वृत्तिक अनुभव है, जिसमें पर्यावरण और वन के क्षेत्र में पांच वर्षों का व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित हो।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) उसने भारत के न्यायक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) उसके पास विज्ञान में स्नातक</p>	<p>(अ). राष्ट्रीय हित अधिष्ठाण के अध्यक्ष का न्यायिक सदस्य के पद के लिए कौमोडोर-मह-अवकाश मिति। -</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायिक अधिकारी - अध्यक्ष।</p> <p>(ii) मन्त्रि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) मन्त्रि, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति - सदस्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।</p> <p>(आ). राष्ट्रीय हित अधिष्ठाण के विशेषज्ञ सदस्य के पद के लिए कौमोडोर-मह-अवकाश मिति। -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई व्यक्ति - अध्यक्ष।</p> <p>(ii) मन्त्रि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) मन्त्रि, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति - सदस्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।</p>	<p>तीन वर्षों</p> <p>अध्यक्ष-सदस्य वर्ष</p> <p>सदस्य-सदस्य वर्ष</p>

Chairperson, Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, President or, as the case may be, Vice-President

"Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) and Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section "A" of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

"Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in rule 4;

"Vice-Chairman" or "Vice-Chairperson" or "Vice-President" means the Vice-Chairman, the Vice-Chairperson or Vice-President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority;

words and expressions used herein and not defined but defined in the Acts shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

3. **Qualifications for appointment of Member.**—The qualification for appointment of the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be such as specified in column (3) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment.**—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee specified in column (4) of the said Schedule in respect of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority specified in column (2) of the said Schedule.

(2) The Secretary to the Government of India in the Ministry or Department under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established shall be the convener of the Search-cum-Selection Committee.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.

(4) No appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authorities shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.

(5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. **Medical fitness.**—No person shall be appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority or a case may be unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

6. **Resignation by a Member.**—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

7. **Removal of Member from office.**—The Central Government may, on the recommendation of a Committee constituted by it in this behalf, remove from office any Member, who—

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

Provided further that the Chairperson or member of the National Company Appellate Tribunal shall be removed from office in consultation with the Chief Justice of India.

8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the Member.—

(1) If a written complaint is received by the Central Government alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) On preliminary scrutiny, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a reference to the Committee constituted under rule 7 to conduct the inquiry.

(3) The Committee shall complete the inquiry within such time or such further time as may be specified by the Central Government.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

9. Term of office of Member.—Save as otherwise provided in these rules, the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall hold office for a term as specified in column (5) of the said Schedule and shall hold the office up to such age as specified in column (6) in the said Schedule from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.

10. Casual vacancy.—(1) In case of a casual vacancy in the office of—

(a) the Chairman, Chairperson, President, or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the Central Government shall have the power to appoint the senior most Vice-Chairperson or Vice-Chairman, Vice-President or in his absence, one of the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority to officiate as Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer.

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government shall have power to appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson and in case of a casual vacancy in the office of the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal shall have power to appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Presiding Officer.

11. Salary and allowances.—(1) The Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority or the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal shall be paid a salary of Rs. 1,50,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.

(2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall be paid a salary of Rs. 2,25,000 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India Officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(3) A Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary of Rs. 1,44,200 – 2,18,200 and shall be entitled to draw allowance: as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(4) In case of a person appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law

Member, Revenue Member, Technical Member or Member, as the case may be, as in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

12. Pension, Gratuity and Provident Fund.—(1) In case of a serving Judge of the Supreme Court, a High Court or a serving Judicial Member of the Tribunal or a member of the Indian Legal Service or a member of an organised Service appointed to the post of the Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Contribution Pension System.

(2) In all other cases, the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

13. Leave.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) Casual leave not exceeding eight days may be granted to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member, Presiding Officer or a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 43 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

14. Leave sanctioning authority.—(1) Leave sanctioning authority.—

(a) for the Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal and Industrial Tribunal, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be Chairman, Chairperson or, as the case may be, President, and

(b) for the Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President, shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Member in case of absence of Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member.

15. House rent allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

16. Transport allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status as per the provisions of Staff Car Rules.

17. Declaration of Financial and other Interests.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

18. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of a Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

(2) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not practice before the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority after retirement from the service of that Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

(3) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government, a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19. **Oaths of office and secrecy.**—Every person appointed to be the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

20. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

21. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

22. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FORM I

(See rule 18)

Form of Oath of Office for Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Administrative Member Judicial Member Expert Member Law Member Revenue Member Technical Member Member of the (Name of the Tribunal Appellate Tribunal Authority)

I, A. B., having been appointed as Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Accountant Member Administrative Member Judicial Member Expert Member Law Member Revenue Member Technical Member Member of the (Name of the Tribunal Appellate Tribunal Authority)

do solemnly affirm do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Accountant Member Administrative Member Judicial Member Expert Member Law Member Revenue Member Technical Member Member of the (Name of the Tribunal Appellate Tribunal Authority) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM II

(See rule 19)

Form of Oath of Secrecy for Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Accountant Member Administrative Member Judicial Member Expert Member Law Member Revenue Member Technical Member Member of the (Name of Tribunal Appellate Tribunal Authority)

I, A. B., having been appointed as the Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Member of the (Name of Tribunal Appellate Tribunal Authority), do solemnly affirm do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Accountant Member Administrative Member Judicial Member Expert Member Law Member Revenue Member Technical Member Member of the said (Name of Tribunal Appellate Tribunal Authority) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman Vice-Chairman Chairperson Vice-Chairperson President Vice-President Presiding Officer Member.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Tribunal or Authority	Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Vice-Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.	Composition of Search cum- Selection Committee	Term of Office	Maximum age for holding Office (in years)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	<p>A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court, or</p> <p>(b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge, or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of the Presiding Officer -</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India - Ministry of Labour and Employment - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government - members</p>	Three Years	Presiding Officer - Sixty-five years of age
2	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal</p> <p>(2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless -</p> <p>(a) he has for at least ten years</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the President and Vice-President -</p> <p>(i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India - chairperson</p> <p>(ii) the President, Income-tax Appellate Tribunal - member; and</p> <p>(iii) the Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) - member</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the Accountant Member and Judicial Member -</p>	Three Years	<p>President - Sixty-five years</p> <p>Vice-President - Sixty-two years</p> <p>Member - Fifty-two years</p>

		<p>held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade II of the Service or any equivalent or higher post for at least three years; or</p> <p>(c) he has been an advocate for at least ten years;</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless:—</p> <p>(i) he has for at least ten years been in the practice of accountancy:—</p> <p>(a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or</p> <p>(b) as a registered accountant under any law formerly in force, or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or</p> <p>(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Additional Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.</p>	<p>(i) a nominee of the Minister of Law and Justice-chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)-member;</p> <p>(iii) President of the Income-tax Appellate Tribunal - member; and</p> <p>(iv) such other persons, if any, not exceeding two, as the Minister of Law and Justice may appoint-member.</p>		
3	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless:—</p> <p>(a) he is or has been a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) he is the member of the Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless:—</p> <p>(a) he has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service or any equivalent or higher post for at least three years; or</p> <p>(c) he has been an advocate for at least ten years.</p>	<p>(A) Search-cum- Selection Committee for the post of President:—</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India as chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Department of Revenue-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)-member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training-member</p> <p>(B) Search-cum- Selection</p>	Three Years	President - Sixty-seven years Member Sixty-two years

	<p>(2) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for at least three years.</p>	<p>Committee for post of Judicial Member:-</p> <p>(i) a Judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of India - chairperson</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) - member.</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) - member.</p> <p>(iv) President of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal - member; and</p> <p>(v) such other persons, not exceeding two, as the Central Government may nominate - member.</p> <p>(C) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical member:-</p> <p>(i) Cabinet Secretary to the Government of India - chairperson</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) - member</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) - member</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law (Department of Legal Affairs) - member.</p>	
<p>4. Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)</p>	<p>(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been or is qualified to be a Judge of a Supreme Court or a Judge of a High Court.</p> <p>(2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.</p>	<p>(A) Search-cum- Selection Committee for the post of Chairman:-</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India - chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) - member.</p>	<p>Three Years</p> <p>Chairperson - sixty-five years</p> <p>Member - sixty-two years</p>

			(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member;		
			(iv) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training- member		
			(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member -		
			(i) Cabinet Secretary - chairperson.		
			(ii) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training- member;		
			(iii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) - member;		
			(iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.		
5.	Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985).	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal;</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs or administration, or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Central Administrative Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment -</p> <p>(a) as a Judicial Member, unless he -</p> <p>(i) is, or has been, or is</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman and Judicial Member -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee - chairperson;</p> <p>(ii) Chairman of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Personnel and Training)- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice - member;</p> <p>(e) one expert, to be nominated by the Central Government of India - member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Administrative Member -</p> <p>(a) a person to be nominated by the Central Government - chairperson;</p> <p>(b) Chairman of the Central Administrative Tribunal - member;</p>	Three Years	<p>Chairman - Sixty-eight years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

	<p>qualified to be a Judge of a High Court, or</p> <p>(ii) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member - Secretary, Law Commission of India; or</p> <p>(iii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or</p> <p>(iv) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(b) as an Administrative Member, unless he -</p> <p>(i) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for at least one year; or</p> <p>(ii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India at least for a period of two years.</p> <p>Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.</p>	<p>(c) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) - member;</p> <p>(d) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice - member;</p> <p>(e) one expert to be nominated by the Government of India - member.</p>	
--	---	--	--

6	<p>Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)</p>	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be; or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having a special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in claims and commercial matters relating to railways.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Judicial), unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade 1 of that Service or any higher post for at least five years; or</p> <p>(c) has, for at least five years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India; or</p> <p>(d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he—</p> <p>(a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member;</p> <p>(b) has, for at least five years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.</p>	<p>(A) Selection Committee consisting for the post of the Chairman, Vice-Chairman (Judicial) or Member (Judicial):—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts who should have knowledge and experience of Claims and Commercial matters pertaining to Railways to be nominated by the Central Government-members.</p> <p>(B) Search-cum-election Committee for the post of the Vice-Chairman (Technical) or Member (Technical):—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson;</p> <p>(ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts with knowledge and experience of Claims and Commercial matters relating to Railways to be nominated by the Central Government-members.</p>	<p>Three Years</p>	<p>Chairman— Sixty-seven years</p> <p>Vice-Chairman— Sixty-five years</p> <p>Member— Sixty-two years</p>
---	---	--	--	--------------------	--

		<p>(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty years.</p>			
7	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, unless he -</p> <p>(a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court for at least seven years;</p> <p>(b) in the case of a Judicial Member, is, or has been, a Judge of a High Court for at least five years; or</p> <p>(c) in the case of a Technical Member, -</p> <p>(i) is, or has been, an Additional Secretary or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or</p> <p>(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.</p> <p>(2) A Member or Part time Member of the Board of the Insurance Regulators and</p>	<p>(A) The Presiding Officer and Judicial Member of the Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member -</p> <p>(i) Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Economic Affairs) - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Financial Services) - member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, in the Legislative Department or Department of Legal Affairs - member.</p>	Three Years	<p>Presiding Officer - Seventy years</p> <p>Member - Sixty-seven years</p>

		<p>Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities.</p> <p>(3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member.</p>			
8.	Debits Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due from Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993).	<p>A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, unless he,—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a District Judge; or</p> <p>(b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, banking, debt recovery or any other matter, which in the opinion of the Central Government is useful to the Debt Recovery Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal.—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs)-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice-member;</p> <p>(iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India-member; and</p> <p>(v) Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)-member.</p>	Three Years	Presiding Officer — Sixty-five years
9.	Debits Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial	<p>A person shall not be qualified for appointment as Chairperson unless he,—</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal.—</p>	Three Years	Chairperson— Seventy years

<p>Regulations Act, 1993 (1993)</p>	<p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court, or (b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that service, or (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years</p>	<p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson. (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)-member. (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice-member. (iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India - member, and (v) Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)-member.</p>	
<p>10. Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act, 1994, 55 of 1994</p>	<p>A person shall not be eligible for appointment as Chairperson, unless he.— (a) is, or has been, or is qualified to be, a judge of a High Court, or (b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson of Airport Appellate Tribunal— (i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation-member. (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member. (iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members</p>	<p>Three Years Chairperson - Sixty-two years</p>
<p>11. Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)</p>	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he.— (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or (c) has, for a period of not less than three years held office as Member; or (d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson. — (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson; (ii) Secretary to the Government of India, (Department of Telecommunications) - member; (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p>	<p>Three Years Chairperson - Seventy years Member - Sixty-five years</p>

		<p>not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.</p>	<p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government - members.</p> <p>(B) Search-cum-Select on Committee for the post of Member. —</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Telecommunications - member);</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government - members.</p>		
12	Appellate Board under the Trade Marks Act, 1999 (57 of 1999)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairperson of the Appellate Board.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for at least two years, held the office of Judicial Member or a Technical Member, and has a degree in law with at least 12 years' practice at bar or 12 years' experience in a State Judicial Service.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as</p>	<p>(A) Search-cum-Selection for the post of the Chairman, Vice-Chairman or Judicial Member of the Appellate Board -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Industrial Policy and Promotion) - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government - members.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member (Trade mark), Technical Member (Patent) and Technical Member (Copyright) of the Appellate Board. —</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government -</p>	Three Years	<p>Chairman - Sixty-seven years</p> <p>Vice-Chairman - Sixty-five years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

<p>Judicial Member, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of High Court, or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Trademarks), unless he—</p> <p>(a) has, for at least ten years, exercised functions of a tribunal under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and has held a post not lower than the post of Joint Registrar for at least five years and has a degree in law with at least twelve years of practice at bar or twelve years' experience in a State Judicial Service, or</p> <p>(b) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in trade mark law.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Patent), unless he -</p> <p>(a) has, for at least five years, held the post or exercised the functions of the Controller under the Patents Act, 1970 (39 of 1970), or</p> <p>(b) has, for at least ten years, functioned as a registered patent agent and possesses a degree in engineering or technology or a master's degree in science from any University established under law for the time being in force.</p> <p>(6) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Copyright), unless he, -</p> <p>(a) is, or has been a member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade 1 of that Service for at least three years, or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(c) is, or has been a member of a Tribunal or Civil Service not</p>	<p>chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Industrial Promotion and Policy) -member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government -member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government -members</p>
---	---

		<p>below the rank of a Joint Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright; or</p> <p>(d) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in Copyright Law.</p> <p>Provided that at least one member of the Appellate Board for purposes of the Copyright Act shall have qualification as in (a), (b) or (c) above.</p>			
13	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (8 of 2013).	<p>(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A Judicial Member shall be a person who is or has been a Judge of a High Court or is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years.</p> <p>(3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.</p>	<p>(A) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Judicial Member and Technical Member of the Appellate Tribunal—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee—chairperson;</p> <p>(ii) a senior Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court—member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs—member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice—member.</p>	Three Years	<p>Chairperson— Seventy years</p> <p>Member— Sixty-five years</p>
14	Authority for Advance Ruling under the Income-tax Act, 1961 (23 of 1961)	<p>A person shall be qualified for appointment as—</p> <p>(a) Chairman, who—</p> <p>(i) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court; or</p> <p>(ii) is or has been a Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(iii) has, for at least seven years, been a Judge of a High Court; or</p> <p>(iv) has, for at least three years, been a Vice-Chairman, Revenue Member or Law Member of the Authority for Advance Ruling; or</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman and Vice-Chairman—</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India—chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue)—member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India (Department of Legal Affairs)—member;</p>	Three Years	<p>Chairman— Seventy years</p> <p>Vice-Chairman— Sixty-five years</p> <p>Member— Sixty-two years.</p>

	<p>is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, taxation or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Authority.</p> <p>(b) Vice-chairman, who is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;</p> <p>(c) Revenue Member from the Indian Revenue Service who is qualified to be a Member of the Central Board of Direct Taxes Board and an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, who is qualified to be a Member of the Central Board of Excise and Customs;</p> <p>(d) Law Member from the Indian Legal Service, who is an Additional Secretary to the Government of India.</p>	<p>(iv) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) - member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member:-</p> <p>(i) Chief Secretary - member.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) - member.</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) - member.</p> <p>(iv) Two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.</p>	
<p>15. Film Certification Appellate Tribunal under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952).</p>	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he:-</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as member; or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in law, management, industry, public affairs, administration, films or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal.</p> <p>(2) The Central Government may appoint such persons, who, in its opinion, or qualified to judge the effect of films on the public, to be a member of the Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-cum-selection Committee for post of the Chairman and member of the Appellate Tribunal:-</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government - chairman;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government - members.</p>	<p>Three Years</p> <p>Chairman - Sixty-seven years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

16.	National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he —</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court, or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court, or</p> <p>(c) has, for a period not less than three years, held office of Member or Judicial Member, or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.</p> <p>Provided that a person shall not be appointed as a Judicial Member, unless he —</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court,</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a Judicial office in the territory of India.</p>	<p>(A) The President shall be appointed by the Central Government after consultation with the Chief Justice of India.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of member. —</p> <p>(i) a person who is a Judge of the Supreme Court, to be nominated by the Chief Justice of India - chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) - member.</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs - member.</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government - members.</p>	Three Years	President - Seventy years Member- Seventy years
17.	Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal, unless he —</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson and Judicial Member of the Appellate</p>	Three Years	Chairperson - Seventy years

1944

		<p>(b) is or has been a Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is, or has been, a Judge of a High Court.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he -</p> <p>(a) he has held or he has been holding the rank of Major General or above for a total period of at least three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or</p> <p>(b) he has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or</p> <p>(c) he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Armed Forces Tribunal.</p>	<p>(B) Search-and-Selection Committee for the post of Vice-Chairperson, Judicial Member, or Administrative Member of Armed Forces Tribunal -</p> <p>(i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by Chief Justice of India or Chairman, Law Commission of India- chairperson;</p> <p>(ii) Chairperson, Armed Forces Tribunal - member;</p> <p>(iii) two Secretaries to Government of India including Defence Secretary-members.</p>		
19	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)	<p>(A) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court, or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(c) has, for a period of not less than three years, held office as Judicial Member or Expert Member, or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in law including five years' practical experience in the</p>	<p>(A) Search-and-Selection Committee for the post of the Chairperson or Judicial Member of the National Green Tribunal -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members</p>	Three Years	Chairperson- Seventy years Member- Sixty-seven years

श्री ७	श्री ७
<p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, -</p> <p>(a) has a degree Post-graduation degree, Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or</p> <p>(b) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.</p>	<p>(B) Search and Selection Committee for the post of the Expert Member of the National Green Tribunal. —</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government - chairperson</p> <p>(ii) Secretary to the government of India Ministry of Environment, Forests and Climate Change - member</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government - members.</p>

[E.No. W/0050/9/2016-CES (AI/Pr-1)]
 UDALSINGH KUMAR AT Jt. Secy

RAKESH SUKUL
 Digitally signed by RAKESH SUKUL
 Date 2017.08.11 11:24:11 +05'30'

Annexure-II

CHECK-LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT WITH THE APPLICATION

Name of the Officer: _____

Sl. No.	Document	Status of enclosure of document Y – Yes N – No NA – Not Applicable
1	Copies of Annual Confidential Reports/Performance Appraisal Reports of the officer during the last five years	
2	Vigilance clearance (if applicable) of the officer	
3	Integrity certificate of the officer	
4	Annexure-III (Proforma for Bio-Data of the Officer)	
5	Annexure-IV (Proforma for ACR/APAR Grading for the last five years of the Officer)	

(Sign and Seal of the sponsoring Authority)
Not below the rank of Deputy Secretary/Director



PROFORMA FOR BIO-DATA

(to be filled by the applicant)

1.	Name (in full)			
2.	Date of Birth & age			
3.	Office and Residential address with telephone number, fax, e-mail, if any			
4.	Educational Qualification (graduation and onwards)			
5.	Examination	University	Year in which passed	Division
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
6.	Service to which the applicant belongs/belonged (with cadre, batch, and name of the Cadre Controlling Authority), if applicable.			
7.	In case of serving officers			
i.	Date of Joining Service			
ii.	Present Designation			
iii.	Scale of Pay and Basic Pay			
iv.	Date of Superannuation			
8.	In case of retired officers			
i.	Date of superannuation			
ii.	Last post held			
iii.	Last pay scale			

Sl. No	Position held	Name and address of the Organisation	Period (From – To)	Nature of work handled
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
10	Any other accomplishments/information, the candidate may like to furnish			
11	Does the candidate have more than one living spouse?		Yes/No	
12	Does the candidate attract any of the disqualification criteria listed in the vacancy circular?		Yes/No (if yes please give details)	
13	State of health			
14	Are copies of best five judgements/other judicial orders passed by the candidate enclosed?			
15	Details of office in which the last five ACRs will be available including details of last employer (in case of retired officials):			

Date:

Signature:

Place

Place

Ar

Annexure-IV

Proforma for abstract of ACR Gradings for the the last five years of each judicial officer to be considered for the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II

Name of the Officer: _____

Sl. No.	Year/Period	Details of Reporting Authority & Grading	Details of Reviewing Authority & Grading	Details of Accepting Authority & Grading
1				
2				
3				
4				
5				

(Sign and Seal of the sponsoring Authority)
Not below the rank of Deputy Secretary/Director

See